

17	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	समस्त श्रेणियों के कृषक (लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व महिला कृषक)।	<p>गेहूं धान व दालों के अन्तर्गत सहायता :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>घटक / उपघटक</th><th>उपदान सहायता</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>समूह प्रदेशन</td><td>9000 रु0 प्रति हैक्टेयर</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>प्रमाणित बीजों के वितरण</td><td></td></tr> <tr> <td>(अ)</td><td>गेहूं व धान की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु0 प्रति किवंटल</td></tr> <tr> <td>(ब)</td><td>दालों की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मो पर</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रु0 प्रति किवंटल</td></tr> <tr> <td>(स)</td><td>धान संकर बीज</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रु0 प्रति किवंटल</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>हस्त चलित स्प्रेयर</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रु0 प्रति मशीन</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>उर्जा चलित नैपसैक स्प्रेयर</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रु0 प्रति मशीन</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>टैक्टर चलित रोटावेटर</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 42000 रु0 प्रति मशीन</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>पॉवर वीडर</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रु0 प्रति मशीन</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	घटक / उपघटक	उपदान सहायता	1.	समूह प्रदेशन	9000 रु0 प्रति हैक्टेयर	2.	प्रमाणित बीजों के वितरण		(अ)	गेहूं व धान की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु0 प्रति किवंटल	(ब)	दालों की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मो पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रु0 प्रति किवंटल	(स)	धान संकर बीज	50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रु0 प्रति किवंटल	3.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रु0 प्रति मशीन	4.	उर्जा चलित नैपसैक स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रु0 प्रति मशीन	5.	टैक्टर चलित रोटावेटर	50 प्रतिशत या अधिकतम 42000 रु0 प्रति मशीन	6.	पॉवर वीडर	50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रु0 प्रति मशीन	<p>आधार कार्ड की प्रति, जमीन की जमाबंदी/ततीमा की प्रति, बैंक अकाउंट का व्यौरा खरीदी जाने वाली मशीन का प्रोफार्मा बिल इत्यादि</p> <p>नजदीकी के विकास खण्ड पर नियुक्त विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) या कृषि विकास अधिकारी/ संबंधित जिले के उप कृषि निदेशक।</p>	<p>सामान्य आवेदन</p>
क्र.सं.	घटक / उपघटक	उपदान सहायता																																	
1.	समूह प्रदेशन	9000 रु0 प्रति हैक्टेयर																																	
2.	प्रमाणित बीजों के वितरण																																		
(अ)	गेहूं व धान की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु0 प्रति किवंटल																																	
(ब)	दालों की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मो पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रु0 प्रति किवंटल																																	
(स)	धान संकर बीज	50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रु0 प्रति किवंटल																																	
3.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रु0 प्रति मशीन																																	
4.	उर्जा चलित नैपसैक स्प्रेयर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रु0 प्रति मशीन																																	
5.	टैक्टर चलित रोटावेटर	50 प्रतिशत या अधिकतम 42000 रु0 प्रति मशीन																																	
6.	पॉवर वीडर	50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रु0 प्रति मशीन																																	

7.	रीपर	50 प्रतिशत या अधिकतम 75000 रु0 प्रति मशीन
8.	धान/मल्टी काप थ्रैशर	50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रु0 प्रति मशीन
9.	विनोइंग फैन	50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रु0 प्रति मशीन
10.	8 एच. पी या उससे अधिक का पावर टीलर	50 प्रतिशत या अधिकतम 85000 रु0 प्रति मशीन
11.	टैक्टर चलित सीड डील	50 प्रतिशत या अधिकतम 20000 रु0 प्रति मशीन

मक्की के अन्तर्गत सहायता

क्र. सं.	घटक / उप घटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	6000 रुपये प्रति हैक्टेयर
2.	प्रमाणित बीजों का वितरण 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपये प्रति किवंटल
3.	संकर बीजों का वितरण	50 प्रतिशत या 10000 रुपये प्रति किवंटल

पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो मिल्ट, परोसो मिल्ट, फोकस्टेल मिल्ट, लिटर मिल्ट)

क्र. सं.	घटक / उप घटक	उपदान सहायता
1.	समूह प्रदर्शन	6000 रुपये प्रति हैक्टेयर

2.	प्रमाणित बीजों का वितरण 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों पर	50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपये प्रति विवंटल
3.	पौध संरक्षण रसायन	50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
4.	खरपतवार नियंत्रण	50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हैक्टेयर
5.	हस्त चलित स्प्रेयर	50 प्रतिशत या 750 रुपये प्रति मशीन